संख्या– 1296/XXVII(1)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 12 दिसम्बर, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में जिलायोजना हेतु प्रावधानित धनराशि के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "जिला नियोजन समिति" द्वारा विभागवार/कार्यवार अनुमोदित परिव्यय सीमा के अधीन निम्नलिखित तालिका में जनपदवार इंगित कुल ₹7081.360 लाख की धनराशि नियमानुसार स्वीकृतियां जारी करने हेतु सीधे जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	सामान्य (अनुदान संख्या–7)	एस0सी0पी0 (अनुदान संख्या–30)	टी0एस0पी0 (अनुदान संख्या–31)	योग
1	2	3	4	5	6
1.	नैनीताल	30784000	4891000	225000	35900000
2.	ऊधमसिंहनगर	42239000	3454000	4807000	50500000
3.	अल्मोड़ा	36210000	9377000	13000	45600000
4.	पिथौरागढ़	20626000	13083000	1991000	35700000
5.	बागेश्वर	7345000	6275000	375000	13995000
6.	चम्पावत	18907000	2276000	147000	21330000
7.	देहरादून	66626000	10319000	5255000	82200000
8.	पौड़ी	156053000	12569000	178000	168800000
9.	टिहरी	82903000	4052000	25000	86980000

10.	चमोली	40356000	8451000	693000	49500000
11.	उत्तरकाशी	46138000	15892000	458000	62488000
12.	रूद्रप्रयाग	28905000	3169000	11000	32085000
13.	हरिद्वार	19108000	3892000	58000	23058000
	योग–	**596200000**	**97700000**	**14236000**	**708136000**

2. सर्वप्रथम जिलाधिकारी के स्तर पर शासन से जारी स्वीकृति आदेश की आई0डी0 को प्रचलित व्यवस्थानुसार कम्प्यूटर में दर्ज करके जिले के अन्तर्गत विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को जिला अनुश्रवण समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार कम्प्यूटर आधारित प्रकिया (ई0कोष पोर्टल) से ऑन लाईन बजट आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु जिलाधिकारियों को विभागाध्यक्ष के रूप में लॉग इन आई0डी0 पूर्व से प्रदान की गयी है।

3. जिले के सभी आहरण–वितरण अधकारी पूर्व की ई0–पेमेन्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागार के माध्यम से ऑन लाईन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

4. विभिन्न विभागों द्वारा त्रैमास के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं पर हुये वास्तविक व्यय के बिल / बाउचर्स का परीक्षण / सत्यापित कर संलग्न करते हुये जिलाधिकारी के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे।

5. सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक–पृथक राजस्व / पूंजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।

6. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा त्रैमास में हुये वास्तविक व्यय विभागवार राजस्व / पूंजीगत मदों में वर्गीकृत करते हुये नियोजन विभाग को विवरण प्रेषित किया जायेगा।

7. जिलाधिकारी द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा–जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका कोषागार/ महालेखाकार से मिलान किया जायेगा।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस प्रकार अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्राथमिक रूप से विद्यमान देयकों के भुगतान हेतु किया जायेगा। तत्पश्चात् जिला नियोजन समिति द्वारा विभागवार/कार्यभार अनुमोदित परिव्यय सीमा के अधीन योजनाओं हेतु धनराशि व्यय की जायेगी।

10. जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. जिलाधिकारी कार्यालय में जारी की गई स्वीकृतिया एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय का रजिस्टर रखा जाय।

12. ऑन लाईन बजट आवंटन की आई0डी0 लेखाशीर्षक बार संलग्न है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 1296 /XXVII(1)/2017 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव